ग्राम पंचायत समेला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत समेला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री जगपाल	1.4.2014 से 22.1.16
2	श्रीमती रेणु चौधरी	23.1.16 से 31.3.17

सचिवः—

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	1.4.2014 से 11.5.2015
2	श्री संजय कुमार	12.5.2015 से 14.12.2016
3	श्री चन्दन वालिया	15.12.2016 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत समेला, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्रमांक	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाखों में)
1	6	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर	1.17
2	7	वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना	—
3	11	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.36
4	12	अनुदान की राशियों का अवरोधन	9.57
5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.68

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत समेला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31.8.2017 से 11.9.2017 तक ग्राम पंचायत समेला के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 2/2015, 08/2015, 06/2016 व 05/2014, 06/2015, 03/2017 का चयन किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत समेला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश,

शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 19 दिनांक 11.9.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत समेला से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः—

सचिव, ग्राम पंचायत समेला द्वारा **परिशिष्ट–I** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः—

4.1 स्वः स्त्रोतः— ग्राम पंचायत समेला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के स्वः स्त्रोतों (खाता—क) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	99784	50217	150001	91933	58068
2015—16	58068	46366	104434	11425	93009
2016—17	93009	116128	209137	80234	128903

4.2 अनुदानः—

ग्राम पंचायत समेला के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता—ख) का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014—15	117320	2991653	3108973	2930279	178694
2015—16	178694	3223989	3402683	2915885	486798
2016—17	486798	3361336	3848134	2891349	956785

5 बैंक समाधान विवरणीः—

ग्राम पंचायत समेला का अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः—

(क) दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही के अनुसार शेषः–

स्वः स्त्रोत	₹128903
अनुदान	₹956785
योग	**₹1085688**

(ख) दिनांक 31.3.2017 को (परिशिष्ट–3) के अनुसार बैंक पास बुक का अन्तशेष	₹1204185
हस्तगत राशि	₹120
योग	**₹1204305**
नोटः– चैक संख्या 543806 दिनांक 23.1.17 को जारी किया गया था परन्तु दिनांक 31.3.2017 तक आहरित नहीं हुआ था	(–)1150
कुल योग	**1203155**
अन्तर	₹117467

6 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹1.17 लाख का अन्तर :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत समेला द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹117467 का अन्तर बैंक में अधिक शेष के रूप में है। इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14 दिनांक 31.8.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत समेला को सूचित किया गया था परन्तु उक्त अधियाचना का कोई भी सन्तोषजनक उत्तर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त अन्तर का मिलान करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

7 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः—

7.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः—

ग्राम पंचायत समेला की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत समेला के लेखों की जाँच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियाँ पाई गई है।

(क) लेखांकन के सामान्य नियम तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना अपेक्षित है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम—2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना आपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत समेला में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाएं।

(ख) पंचायत द्वारा पंचायत निधि की रोकड़ बही में ही अनुदान मध्य हिमालय जलागम परियोजना, आई0डब्लयू0,एम0पी0 प्रधान मन्त्री आवास ग्रामीण योजना, इन्दिरा आवास योजना व अन्य परियोजनाओं के लिए एक ही रोकड़ वही को तैयार किया गया है जिसके कारण परियोजनाओं पर किये गये आय—व्यय के आंकडों का मिलान करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी भी हुई। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय के लिए व दूसरा भाग व्यय के लिये दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के

लिए अलग–2 प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत समेला द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय–व्यय विवरणी तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

8 ₹1310 को वसूली उपरान्त पंचायत निधि में जमा न करवानाः–

ग्राम पंचायत समेला की रोकड़ बही तथा आय रसीदों की जाँच उपरान्त पाया गया कि आय रसीद संख्या–50533 व 50534 दिनांक 5.10.2015 को क्रमशः ₹650 व ₹660 कुल ₹1310 पंचायत सदस्यों से वसूली की गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 77 दिनांक 5.10.2015 पर आय पक्ष में दर्शाई गई है परन्तु पंचायत निधि खाता संख्या 41520 के0सी0सी0 बैंक, कांगड़ा में जमा नहीं करवाई गई प्रतीत होती है। अतः इस सम्बन्ध में संस्था स्त्तर पर जाँच करके सम्बन्धित सचिव से नियमानुसार दण्ड ब्याज सहित वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 रोकड़ बही के शेष में हस्तगत ₹100 कम दर्शाने बारेः–

ग्राम पंचायत समेला की रोकड़ बही के शेषों की जाँच करने उपरान्त पाया गया कि रोकड़ बही (सामान्य) के पृष्ठ संख्या–81 पर वर्णित हस्तगत राशि का शेष पंचायत सचिव द्वारा ₹568 दर्शाया गया है जबकि वास्तव में शेष ₹66 बनता है। अतः शेष में (668–568) ₹100 का अन्तर है। अतः रोकड़ बही के शेष में हस्तगत राशि कम दर्शाई गई है, जिसके बारे उचित छानबीन करके कम दर्शाई गई राशि को पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

10 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना आपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान

पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

11 पंचायत राजस्व ₹0.36 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत समेला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत राजस्व ₹35600 की वसूली शेष थी।

गृहकरः— पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या **परिशिष्ट (4)** के अनुसार क्रमशः 298, 328 व 386 के लिए ₹30 व ₹50 प्रति परिवार की दर से वसूली की जानी अपेक्षित थीः—

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली योग्य शेष राशि
2014—15	0	8940	8940	7850	1090
2015—16	1090	16400	17490	1190	16300
2016—17	16300	19300	35600	—	35600

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली अतिशीघ्र करनी सुनिश्चित की जाए।

12 अनुदान की ₹9.57 लाख का अवरोधनः—

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹956785 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत समेला द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹167582 के स्टॉक/स्टोर का क्रय बिना निविदाओं द्वारा किया गया है और न ही निविदाओं से सम्बन्धित अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण की गई थी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपित्तजनक है।

क्र0सं0	दिनांक	वा0सं0	रो0व0 पृ0सं0	विवरण	राशि ₹
सामान्य					
1	17.5.14	8	21	रेत व बजरी	13158
2	17.5.14	9	21	रेत, बजरी व बोल्डर	41039
3	4.6.15	23	62	सोलर स्ट्रीट लाईट	29900
4	27.6.15	31	65	रेत, बजरी व बोल्डर	48070
मनरेगा					
5	15.6.15	50	28	रेत, बजरी व शैटरिंग	35415
				कुल योग	**₹167582**

अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक क्रय किये गये समस्त स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा आगामी अंकेक्षण में स्टॉक रजिस्टर को दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न रकनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकर से हैः–

1) स्टॉक रजिस्टर

2) चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर

3) जल प्रभार रजिस्टर

4) भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर

5) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6) अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7) गृहकर वसूली रजिस्टर

8) डाक–टिकट रजिस्टर

9) निर्माण कार्यों का रजिस्टर

10) माप पुस्तिका का रजिस्टर

11) आय रसीदों से सम्बन्धित रजिस्टर इत्यादि

15 प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई मदों के अनुरूप भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज किया गया था और न ही भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में आपेक्षित कार्यवाही अमल में ला कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताऐं:–

16.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है। जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत समेला द्वारा नहीं की गई थी।

16.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

16.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत समेला में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टरी विवरण के बिना ही किया गया। अतः इस नियम के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें उचित सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 लघु आपत्ति विवरणिका:–लघु आपत्तियो ंका मौके पर ही निपटारा करके यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिलकुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 139/2017—खण्ड—1—1711—1714 दिनाँक 07.03.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत समेला, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620881